बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 109/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – बिहार विधान परिषद ग्रंथागार, पटना।

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष – 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – बिहार विधान परिषद, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0

एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री मुंगेश्वर साहू , सचिव, अवधि– 1.04.09 से 14.03.10
2. श्री बाबू लाल अग्रवाल, कार्यकारी सचिव, अवधि– 15.3.10 से 31.03.10 तक

(ङ) अंकेक्षणाधीन अवधि में लेखा प्रभारी
पदाधिकारीयों एंव कर्मचारियों का नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री अखिलेश बिहारी,लाल, अवर सचिव अवधि 1.04.2009 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले
पदा0/कर्म0 के नाम, पदनाम –

श्री भैरव लाल दास, परियोजना पदा0 सह प्रतिवेदक

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री विधानन्द शर्मा, व0 अं0 –2

2. श्री अवध किशोर सिंह, व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 24.01.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 24.02.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 14 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(1) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि – 3286/वि0 अं0 15.09.60

(3) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – बिहार विधान परिषद के सदस्यों को पुस्तक एवं अभिभाषण के रिकार्ड को संरक्षित रखते हुए उपलब्ध करायी जाती है एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि से बिहार विधान परिषद के ग्रंथागार के उन्नयन हेतु निम्नांकित कार्य संपन्न कराये गये ।

(i) परियोजना की राशि से छः कम्प्यूटर की खरीद की गयी एवं इसे नेटवर्किंग कराकर अधिष्ठापित किया गया।

(ii) परियोजना की राशि से खरीदे गये छः एयर कंडिशनर को ग्रंथागार में अधिष्ठापित कराया गया।

(iii) परियोजना की राशि से खरीदे गये फोटोस्टेट मशीन को ग्रंथागार के परियोजना कक्ष में अधिष्ठापित कराया गया।

(iv) ग्रंथागार में कैटलौग कार्ड कैबिनेट की व्यवस्था की गयी।

(4) वित्तीय स्त्रोत :–

बिहार विधान परिषद के ग्रंथागार के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में केन्द्रांश (75%) एवं राज्यांश 25% अनुदान की राशि की विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर उल्लिखित है। उसे अवलोकन करने पर स्पष्ट परिलक्षित होगा कि वित्तीय वर्ष 09–10 में केन्द्र रू0 631500/– अनुदान दिया गया था। कोषागार से हजार के गुणाक में निकासी होने के कारण ही रू0 631500/– के विरूद्ध रू0 632000/– अनुमान्य कर रू0 615439/– की निकासी सिंचाई भवन, पुरानी सचिवालय में अवस्थित कोषागार से की गयी । राज्य सरकार से मैचिंग अनुदान में रू0 211000/– आवंटित की गयी थी। जिसके विरूद्ध रू0 209839.00 ही निकासी की गयी थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुदानित राशि में से व्ययोपरान्त बचत राशि क्रमशः रू0 16561/– एवं 1161 ससमय वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यार्पित कर दी गयी थी, जिसे वित्त विभाग बिहार, पटना द्वारा स्वीकार भी कर ली गयी थी।

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

(क) शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया – एवं सही पाया गया।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

महालेखाकार के द्वारा इस लेखा का निरीक्षण नही किया गया था, अतः अनुपालन का प्रश्न नही उठा।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– इसका यह प्रथम अंकेक्षण था।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

बिहार विधान परिषद के मुख्य शीर्ष 2011 के रोकड़ पुस्त में दि0 31.3.2010 को संवरण शेष रू0 192585.13 पाया गया।

(1) आवंटन की स्थिति में क्या आवंटन से अधिक निकासी की गयी – नही

(2) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– नही।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – हाँ

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 24.1.2012 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष रू0 269390.13 अंकित था। अंकित संवरण शेष में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संन्निहित नही था, क्योंकि केन्द्रांश एवं राज्यांश की बचत राशि विगत वित्तीय वर्ष के आखिरी तारीख को वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यार्पित कर दी गयी थी। इसलिए अंकेक्षण प्रारंभण तिथि को संवरण शेष की राशि की भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता नही पड़ी।

(5) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

पुस्तकालय के लिए अलग से कोई पद सृजित नही था, बल्कि बिहार विधान परिषद में कार्यरत कर्मियों से ही सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं उप सचिव पुस्तकालय संबंधी कार्यो को संपादित करते हैं। इसीलिए स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की विस्तृत विवरणी संलग्न करने की आवश्यकता नही पड़ी।

<u>भाग— 2</u>

कंडिका (5) श्रोत से वैट की कटौती राशि रू0 20563.00 आपत्तिअन्तर्गत :—

बिहार विधान परिषद के उन्नयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित राशि से संबंधित अभिश्रवों की जाँच वर्ष 09—10 के संगत लेखाभिलेखों से करने में पाया गया कि विभिन्न उपकरणों के क्रय पर किये गये व्यय पर श्रोत से वैट की कटौती नही की गयी थी। संचिका सं0 वि0 प0 प्रति —01/06 के अवलोकन में पाया गया कि कार्यकारी सचिव के कार्यालय आदेश सं0 —618 दि0 29. 03.2010 द्वारा रिको इंडिया लि0 101 संत गीत टून्कलेब, एस0 के0 पुरी, पोस्ट ऑफिस, बोरिंग रोड पटना से आपूर्त्ति की गयी उपकरण पर 4 प्रतिशत वैट की राशि रू0 3170.00 काटकर शेष राशि ही भुगतान करने का आदेश था। उक्त आदेश का कार्यालय द्वारा अक्षरशः पालन नही किया गया। फलतः वैट की राशि संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता को ही भुगतान कर दी गयी।

उल्लेखनीय है कि श्रोत से निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा भुगतान के समय आपूर्त्ति कर्त्ता से वैट की राशि की कटौती कर बिहार राज्य वैट एक्ट 2005 के सेक्शन 40,42 एवं नियम 28,30 के अन्तर्गत कर कोषागार में जमा कर देनी है। परन्तु ऐसा नही किया गया था। अंकेक्षण में फार्म C-III प्रमाण पत्र एवं जमा विपत्र की विस्तृत विवरणी भी उपलब्ध नही काराया गया। फलतः सुनिश्चित नही हो सका कि वैट की राशि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा कोषागार में जमा किया गया अथवा नही।

अतः सक्षम पदाधिकारी उपर्युक्त अभिलेख उपलब्ध कराकर सुनिश्चित किया जाय कि वैट की शीर्षाकिंत राशि संबंधित कोषागार में आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किया गया अथवा नही।

अतः वैट की शीर्षाकिंत राशि कोषागार में जमा सुनिश्चित होने तक आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। विवरणी परिशिष्ट ''ग'' पर उल्लिखित है। अन्यथा कि स्थिति में राजस्व की क्षति मानी जायेगी।

कंडिका (6) आयकर की कटौती राशि रू0 2922.00 आपत्तिअन्तर्गत :–

बिहार विधान परिषद के उन्नयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित राशि से संबंधित अभिश्रवों की जाँच वर्ष 09–10 के संगत लेखाभिलेखों से करने क्रम में पाया गया कि श्रृष्टि सेल्स पटना से छः(6) अदद एयर कंडिशनर भोल्टास 1.5 टन एवं स्टैबलाईजर की खरीद पर कुल रू0 143640.00 का भुगतान दिनांक 31.3.2010 को किया गया था। इस राशि में से 139140.00 पर 2.1 प्रतिशत की दर से आयकर रू0 2922.00 की कटौती कर संबंधित खाते में जमा किया जाना चाहिए था, परन्तु जमा किया गया नही पाया गया। संचिका सं0 वि0 प्र0 प्रति 01/06 के अवलोकन के क्रम में पाया कि कार्या0 आदेश सं0 – 619 दि0 29.3.2010 में श्रृष्टि सेल्स पटना से क्रय राशि 139140.00 पर 2.1 प्रतिशत की दर से रू0 2922.00 की कटौती करना अपेक्षित था, परन्तु उपर्युक्त आदेश का अनुपालन कार्यालय द्वारा नही कर विपत्र की कुल राशि आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि स्त्रोत से आयकर के नियमानुसार 2.1 प्रतिशत की कटौती कर निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा आयकर की संबंधित खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में यह साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया कि श्रृष्टि सेल्स पटना द्वारा आयकर की राशि रू0 2922.00 आयकर के खाते में जमा किया गया अथवा नही।

अतः सक्षम पदा0 बैंक के चालान एवं विवरणी से शीर्षाकिंत राशि का सत्यापन कर वित्त (अं0) विभाग को वास्तविक स्थिति से अवगत कराये जाने तक रू0 2922.00 आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है। अन्यथा कि स्थिति में आयकर की क्षति मानी जायेगी।

<u>भाग– 3</u>

कंडिका (7) रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन नही किया जाना :–

वित्तीय वर्ष 09–10 के रोकड़ पुस्त की जाँच अन्य अभिलेखों से करने में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा एक बार भी संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत विवरणी रोकड़ पुस्त में दर्ज नही की गयी थी। बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक 101178/1946 वित्त दि0 14.2.1979 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदा0 के प्रत्येक माह की 15 वीं एवं 30 वीं तारीख को रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत विवरणी अंकित करना अपेक्षित है।

कंडिका (8) स्थायी भंडार पंजी का सत्यापन नही किया जाना :–

बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 143 एवं 144 के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश से बिहार विधान परिषद ग्रंथागार के लिए क्रीत स्थायी सामग्रियों के भंडार पंजी में अंकित सामग्रियों का सक्षम पदा0 द्वारा भौतिक सत्यापन नही किया गया था ।

अतः भविष्य में भंडार पंजी का वर्ष में कम से कम एक बार भी भौतिक सत्यापन कर स्थायी सामानों का विवरण भंडार पंजी में अंकित किया जाना अपेक्षित है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2)

" NISHU''

परिशिष्ट "क"

कंडिका 1(ट) से संबंधित)

प्रस्तुत –अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचि :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. शीर्ष 2011 का रोकड़ पुस्त – वित्तीय वर्ष 2009–10
2. विपत्र पंजी – वित्तीय वर्ष 2009–10
3. भंडार पंजी – वित्तीय वर्ष 2009–10
4. विधान परिषद प्रति – 01/06 बिहार विधान परिषद संदर्भ पुस्तकालय/अभिलेखागार के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबधित संचिका
5. ए0 सी0 विपत्र के विरूद्ध डी0 सी0 बिल के प्रेषण संबंधी संचिका
6. एम0 ओ0 ई की संचिका – 09–10
7. Ac/Lc-1 - 51/09
8. वि0 प0 लेखा –1–22/10 की संचिका
9. वि0 प0 लेखा –1 – 27/9 की संचिका
10. वि0 प0 लेखा – 1– 98/09 की संचिका

अप्रस्तुत अभिलेख –

निविदा पत्रों की मूल प्रति

परिशिष्ट "ख" कंडिका 2(4) से संबंधित
वित्तीय वर्ष 09–10 का आवंटन – व्यय विवरणी (केन्द्रांश)

मेजर हेड	सब मेजर हेड	माइनर हेड	सब हेड	आवंटन 2009–10	सप्लीमेंटरी या रिएप्रोप्रिऐशन	व्यय	बचत	अभ्युिक्ति
2011	02	103	0603	–	632000.00	615439.00	16561.00	प्रत्यार्पण सं0 एवं तिथि – 192/ 31.3.2010
विपत्र कोड C 2011021030603 सब्जेन्ट हेड 3101– एसिस्टेन्स ग्रान्ट								
टोटल 0603 (सी) ग्रंन्थ रक्षा गृह एवं ग्रन्थ पुस्तकालय					632000.00	615439.00	16561.00	

परिशिष्ट "ख" कंडिका 2(4) से संबंधित
वित्तीय वर्ष 09–10 का आवंटन – व्यय विवरणी (राज्यांश)

मेजर हेड	सब मेजर हेड	माइनर हेड	सब हेड	आवंटन 2009–10	सप्लीमेंटरी या रिएप्रोप्रिऐशन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
2011	02	103	0103	–	211000.00	209839.00	1161.00	प्रत्यार्पण सं0 तिथि – 189/31.3.2010
विपत्र कोड P 2011021030103 सब्जेन्ट हेड 3101– एसिस्टेन्स ग्रान्ट टोटल 0103 (P) ग्रंन्थ रक्षा गृह एवं ग्रन्थ पुस्तकालय								
					211000.00	209839.00	1161.00	

परिशिष्ट "ग" कंडिका –5 से संबंधित
वैट की राशि रू0 20563.00 से संबंधित विवरणी :–

क्र0	प्राप्तिकर्त्ता का नाम	आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम	सामग्री का विवरण	विपत्र सं0/तिथि	दर	अदद	राशि	कुल राशि	वैट योग्य राशि	वैट दर	वैट राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	उप सचिव बिहार विधान परिषद पटना	श्रृष्टि हथवा टवीन टावर दूकान सं0 8,9 दक्षिणी गाँधी मैदान पटना टिन वैट 10110419029	वोल्टास एयर कन्डिशनर 1. 5 टन स्टैवलाईजर ए0 सी0 के लिए फिटिंग चार्ज	25/ 29.3.10 वही	18990 /– 4200/ – 780/ –	6 6 6	113940.00 25200.00 4500.00	143640.00	139140.00	12.5 %	17393.00	31.3.2010	विपत्र वेट सहित था
2	परियोजना पदाधिकारी बिहार विघान परिषद पटना	रिको इन्डिया लिमिटेड 101 संत गीत इनकले0 एस0 के0 पुरी, पोस्ट ऑफिस बोरिंग रोड पटना वैट टिन– 10010430071	रिको डिजिटल फोटो कॉपियर मोडेल एम पी 2000 ली प्रिंटर स्कैनर के साथ एम पी 2000 एलई 20 सी0 पी0 एम0 ए–3 साईज। वैटटिन 10010430071	इनवायस सं0 PT4900 75 23-3-10 500808	79238 /–	1	79238.00	82408.00	79238.00	12.5 %	3170.00	31.3.2010	वैट के साथ भुगतान पाया गया कार्यालय आदेश सं0 618 दिनांक 29.3.2010 द्वारा 3170.00 वैट राशि काटकर भुगतान का आदेश के बावजूद भुगतान

कुल योग– 20563.00